



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2008, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं अथवा पूर्व से प्राप्त छात्रवृत्ति के प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण (Renewal) हेतु आवेदन करने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या - 32/2018

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2008, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 में वैसे छात्र-छात्रा जो 2008 में 80 प्रतिशत एवं शेष में 80 परसेन्टाइल अंक के साथ इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण हो एवं जिन्होंने पूर्व में ज्ञापित परिषद् के विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन किया है, तथा जिनके छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक लंबित है, वैसे आवेदक नवीनीकरण (Renewal) हेतु आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से वांछित अभिलेख अनुलग्नक के रूप में संलग्न करेंगे अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सभी आवेदको को प्रत्येक छात्रवृत्ति हेतु अलग-अलग आवेदन करना आवश्यक है।

क्र.सं.	सत्र	नवीनीकरण (Renewal)
1	2008-2009	III, IV
4	2011-12	I, II, III, IV
5	2012-13	I, II, III, IV
6	2013-14	II, III
7	2014-15	II

विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 20 दिनों के अंदर निबंधित डाक द्वारा आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

छात्र-छात्राओं को आवेदन के साथ स्वअभिप्रेमाणित निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।

1. Postal Address
2. Joining Report (स्नातक स्तरीय)
3. Caste Certificate (छायाप्रति)
4. Aadhar Card (छायाप्रति)
5. Details of Bank Account with IFSC Code (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)।
6. Marks Sheet (इंटरमीडिएट एवं स्नातक स्तरीय)

Note:- 1. Correspondence Course इस योजना के अन्तर्गत अनुमान्य नहीं है।
2. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, एवं इसे रद्द कर दिया जाएगा।

नोट:- वित्तीय वर्ष 2016-17 से सभी प्रकार के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के पास आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं आधार का बैंक से Seeding भी आवश्यक है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकांत वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/CSSS/67/17-SECY/298/18

Dt. 11.05.2018

D.O.P : 12.05.2018

